फर्द अहकाम

भागीरथ बनाम कन्हैयालाल

...लय

...या 28/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	22/02/21	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः आइन्दा कार्यवाही हेतु दिनांक 26/02/21 को पेश हो। Buy	
	26/02/21	वकीलों द्वारा [illegible] कार्य स्थगित रख[illegible] पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 01/03/21 को पेश हो। Buy	
	01/03/21	वकीलों द्वारा [illegible] कार्य स्थगित रख[illegible] से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 02/03/21 को पेश हो। Buy	
	02/03/21	व०फ० उभय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र मकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है। प्रा०पत्र 151 CPC बाबत विद्युत कनेक्शन की अनुमति दिये जाने स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मि० किया गया। मुख्य वाद में जारी की जा चुकी प्राथमिक डिक्री है। प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अन्तरिम आदेश दिनांक 27/8/19 को नाफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) [illegible] जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:08:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मु0) चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

टी0आई0 संख्या :–28/2019

भागीरथ बनाम कन्हैयालाल वगै0

(प्रार्थना–पत्र)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 बाबत् विद्युत कनेक्शन की अनुमति दिये जाने हेतु

आदेश

दिनांक:– 02.03.2021

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एक वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.08.2019 को पेश कर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। जिसमें वादी द्वारा तकासमे का वाद होने के बावजूद भी प्रार्थी के हक में जारी विद्युत कनेक्शन को रुकवाने के उद्देश्य से प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 को पक्षकार बनाकर गलत तथ्यों पर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि वादी अपने हिस्से की भूमि में बोरींग बनाकर उसमें लगे विद्युत कनेक्शन से सिचांई कर अपनी फसल काश्त कर रहा है और मिन प्रतिवादी को येन केन प्रकारेण उक्त विद्युत कनेक्शन से रोककर परेशान करने पर आमादा हो रहा है। प्रार्थी/मिन प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में जवाब दावा पेश कर तकासमे हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दी है तथा प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि व उसमें बनें बोरिंग में ही विद्युत कनेक्शन लेना चाह रहा है जिसके दिये जाने से वादीगण को कोई हानि नहीं होगी। प्रार्थी एक किसान व्यक्ति है प्रार्थी के परिवार की आजिविका का साधन एकमात्र उक्त कृषि ही है। जिस कारण न्यायहित में उक्त कनेक्शन की अनुमति दिया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं न्यायोचित है।

यदि प्रार्थी को उक्त विद्युत कनेक्शन की अनुमति नहीं दी गई तो वादी अपने मकसद में सफल हो जावेगा तथा प्रार्थी कृषि कार्य नहीं कर पायेगा तथा अपने हिस्से की भूमि में खडी फसल पानी के अभाव में जलकर नष्ट हो जावेगी जिससे प्रार्थी व उसके परिवार की जीविका का संकट उत्पन्न हो जावेगा।

अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.08.2019 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है। प्रार्थी बोरिंग हेतु विद्युत कनेक्शन लेना चाहता हैं, जोकि मूलभूत आवश्यकताओं में होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 27.08.2019 में छूट प्रदान करते हुए प्रार्थीगण को ग्राम कुम्भपुरिया, तहसील चौमूं के खसरा नम्बर 1575, 1576, 1577, 1578, 1596 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.68 है0 भूमि पर विद्युत कनेक्शन स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर शामिल मिसल रहे।

आदेश आज दिनांक 02.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:08:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with CamScanner